उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 88/2017/677/92-2-17-104जॉच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 06 जून,2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

बार्डर एरिया डेवलेपमेंट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एंव शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में गम्भीर अनियमितता बरतने तथा शासकीय क्षति पहुचाये जाने आदि अनियमितताओं के संबंध में शासन के पत्र संख्या-1866/92-1-16-104जांच/2013 दिनांक 23-04-2015 द्वारा श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम'-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया।

2- उक्त के संबंध में श्री सिंह का स्पष्टीकरण शासन में प्राप्त न होने पर शासन में उपलब्ध संगत अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त श्री आर0पी0 सिंह, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-18/2017/68/92-2-17-104जांच/2013 दिनांक 12-01-2017 द्वारा श्री सिंह की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए परिनिन्दित किया गया।

3- शासन के उक्त दण्डादेश दिनांक 12-01-2017 के विरूद्व श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 21-01-2017 प्रस्तुत किया गया। श्री आर0पी0 सिंह के उक्त प्रत्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/2017/68/92-2-17-104जांच/2013,दिनांक 12-01-2017 द्वारा श्री आर0पी0 सिंह, तत्का0 अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति सहारनपुर को दिये गये दण्ड- सत्यनिष्ठा संदिग्ध एवं 'परिनिन्दा प्रविष्टि को सम्यक विचारोपरान्त विलोपित किया जाता है।

4- श्री आर0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-सहारनपुर को उनके पर्यवेक्षणीय दायित्व में सचेत न रहने के कारण उन्हे भविष्य के लिए सचेत करते हुए उनके प्रत्यावेदन दिनांक 12-01-2017 को एतदद्वारा निस्तारित किया जाता हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 88/2017/677/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-95/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/आर0पी0सिंह प्रत्या0/15-16 दि0 03-05-2017 के क्रम में।

2- श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।